राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2715551 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प / जय / सीएसआर / एफ–973 / 2017 / 3707 दिनांक : 17/7/2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त,

विषयः समस्त राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं / भामाशाहों / औद्योगिक ईकाईयों द्वारा सीएसआर के अन्तर्गत करवाये जाने वाले विकास कार्यों को ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से करवाने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के राजकीय विद्यालयों में भामाशाह / दानदाता / सीएसआर के अन्तर्गत कम्पनियों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के कम में विभिन्न प्रकार के विकास व अन्य प्रकार के कार्य करवाये जाते है। उक्त सहयोग की प्रकिया को सरलीकृत करने की दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑन लाईन प्लेटफॉर्म 'ज्ञान संकल्प पोर्टल' (www.gyansankalp.nic.in) का 05 अगस्त 2017 से संचालन किया जा रहा है।

ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के भामाशाह / दानदाता / औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा सीएसआर के अन्तर्गत पांच प्रकार से; (1) विद्यालय गोद लेकर (Adopt A School) , (2) अपने प्रोजेक्ट निर्माण कर (Create Your Own Project), (3) पूर्व में प्रदर्शित प्रोजेक्ट में सहयोग कर (Support A Project), (4) मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में सहयोग कर (Contribute to Mukhymantri Vidyadaan Kosh) एवं (5) किसी भी विद्यालय को राशि हस्तान्तरित कर (Donate to A School) सहयोग करने के विकल्प उपलब्ध है।

05 अगस्त 2017 से पोर्टल प्रारंभ होने के बाद तथा जून 2018 व 2019 में आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित भामाशाहों के द्वारा राज्य के राजकीय विद्यालयों हेतु किये गये सहयोग राशि एवं ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से अनुमोदित किये गये प्रोजेक्ट राशि के बीच में काफी अन्तर है। जिससे पोर्टल पर सभी भामाशाह / दानदाताओं द्वारा किये गये कार्यों को प्रदर्शित किया जाना संभव नहीं हो रहा है।

अतः सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ सभी राजकीय विद्यालयों में भामाशाह / दानदाता / सीएसआर के अन्तर्गत कम्पनियों के द्वारा किये जाने वाले सभी विकास कार्यों को विद्यालय में करवाये जाने से पूर्व ज्ञान संकल्प पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करवाना सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहें। साथ ही विद्यालय को प्राप्त किसी प्रकार की सहायता चाहे वह राशि के रूप में हो या सामग्री के रूप में, चाहे किसी मंच यथा बालसभा, अक्षय पेटिका, स्वैच्छिक अनुदान इत्यादि से प्राप्त सहायता राशि को शाला दर्पण पर संचालित विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल में आवश्यक रूप से इन्द्राज करवाना भी सुनिश्चित करें जिससे विभाग को प्राप्त जनसहयोग को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सकें।

साथ ही भामाशाह / दानदाता / सीएसआर के अन्तर्गत कम्पनियों के द्वारा पोर्टल पर रजिस्टर कर अपलोड करने में संस्था प्रधानों को सहयोग करने हेतु भी निर्देशित करें। इस हेतु जुलाई माह में होने वाली संस्था प्रधानों की वाक्पीठ में ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में आवश्यक रूप से एक वार्ता दिया जाना भी सुनिश्चित करें।

(डॉ. एन. के. गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान

लगातार.....

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2715551 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प / जय / सीएसआर / एफ–973 / 2017 / 3707 दिनांक : 17 / 7 / 2019

- निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
- निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
- शासन उप सचिव / प्रतिनिधि, शिक्षा ग्रुप–6 विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
- अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कू.शि.प. जयपुर
- वित्त सलाहकार, रा.स्कू.शि.प. जयपुर
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले
- सीएसआर प्रकोष्ठ जयपुर / बीकानेर
- रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक